



राजस्थान राज्य सूचना आयोग

ओ.टी.एस. परिसर के पास, जे.एल.एन. मार्ग, झालाना लिंक रोड,
जयपुर (फोन एवं फैक्स न. 0141-2719136)

क्रमांक पं. 6 ()/रा.सू.आ./संस्था/सलाहकार/2021/1362-70 दिनांक:- 31-3-2021

कार्यालय आदेश

राजस्थान राज्य सूचना आयोग में सलाहकारी सेवाओं (कन्सलटेन्सी सर्विसेज) हेतु सलाहकारों (कन्सल्टेन्ट्स) के सूचीकरण के लिये कार्यालय पत्रांक 978 दिनांक 01.03.2021 द्वारा अभिरूचि की अभिव्यक्ति (Expression of Interest) जारी की गई थी। सूचीकरण हेतु गठित समिति के समक्ष साक्षात्कार हेतु उपस्थित आवेदकों में से निम्नांकित आवेदकों का चयन किया जाकर परिशिष्ट-II में अंकित शर्तों पर एक वर्ष के लिए सलाहकारी सेवाओं के लिए नियुक्ति प्रदान की जाती है, जो भविष्य में आपसी सहमति से बढ़ायी जा सकती है। परिशिष्ट-II के बिन्दु संख्या 5 (सी) के अनुसार कन्सलटेन्ट की नियुक्ति पूर्णतया अस्थायी (non official) प्रकृति की है तथा संतोषजनक सेवा के अभाव में सलाहकार की नियुक्ति को किसी भी समय बिना किसी कारण दर्शाए निरस्त किया जा सकता है।

क्र.स.	चयनित आवेदक का नाम	पदनाम एवं विभाग का नाम जहाँ से सेवानिवृत्त हुए हैं
1	श्री उदय सिंह पालावत	संयुक्त निदेशक, राजस्थान राज्य विद्युत नियामक आयोग, जयपुर
2	श्री राम खिलाडी रावत	संयुक्त सचिव एवं विधि सलाहकार, भारत सरकार, नई दिल्ली
3	श्री पारस चन्द जैन	शासन उप सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, राज. जयपुर
4	श्री भगवान स्वरूप शर्मा	प्रोटोकॉल अधिकारी, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-1) विभाग, राज. जयपुर
5	डा. सुभाष कौशिक	सहायक निदेशक (शोध एवं राजस्थान एजुकेशन इनिशिएटिव), राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, शिक्षा संकुल, जयपुर

उपरोक्त सलाहकार आयोग कार्यालय में आगामी सात दिवस में स्वयं की उपस्थिति देंगे व सेवा शर्तों के संबंध में रूपये 500/- के नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर इकरारनामा प्रस्तुत करेंगे।

3d -
(ममता राव)
सचिव

राजस्थान राज्य सूचना आयोग
जयपुर

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, मुख्य सूचना आयुक्त, राजस्थान राज्य सूचना आयोग जयपुर।
2. निजी सचिव, सूचना आयुक्त-द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम
3. संबंधित सलाहकार
4. प्रोग्रामर को भेज कर लेख है कि उक्त आदेश को उपापन पोर्टल व आयोग की वेबसाइट पर अपलोड करें।
5. लेखाकार
6. रक्षित पत्रावली

52
सचिव

राजस्थान राज्य सूचना आयोग
जयपुर